



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलुरु  
**MARATHAHALLI COLONY P.O.**  
**BENGALURU - 560 037.**

**वर्ग अनुमोदन सं. 1540 का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1540**

**विषय / Sub: एटीसी हेतु इंटरफेस यूनिट, पार्ट सं. 1804 00 000**  
**Interface unit for ATC, Part Number: 1804 00 000**

यह घोषित किया जाता है कि " एटीसी हेतु इंटरफेस यूनिट ", पार्ट सं. 1804 00 000 को एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर (ए एस ई आर डी सी), मेसर्स एच ए एल, लखनऊ - 226 016 द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ - 226 016 द्वारा उत्पादित किया गया था। इसको संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1540, दिनांक 13 अक्टूबर 2010 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1540 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2015 तक था।

*This is to state that the "Interface unit for ATC" bearing the Part No.: 1804 00 000, designed and developed by Aerospace Systems and Equipment Research & Development Centre (ASERDC), M/s HAL, Lucknow - 226 016 and manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Barabanki Road, Lucknow - 226 016. This was issued with Type Approval No.: 1540 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1540, dated: 13<sup>th</sup> October 2010 and with its validity up to 31<sup>st</sup> December 2015.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मार्च 2016 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 01 मार्च 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), लखनऊ - 226 016 से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> March 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 01<sup>st</sup> March 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), Lucknow – 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1540, दिनांक 13 अक्टूबर 2010 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1540, dated: 13<sup>th</sup> October 2010 is amended as stated herewith.*

“ [अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]

*[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

*All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.*

No.: सेमिलैक/ CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1540/1R

दिनांक/Date : 30 January 2017

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

*Ravi*  
25/01/17  
*Ravi*

*G. Gouda*

(गंतायत गौड़ वै.'जी'/G. Gouda, Sc. 'G')  
स्थानामन्त मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)  
Offg. Chief Executive (Airworthiness)